

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 255/2024 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)
आवास फाईनेशियर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202, द्वितीय तल, साउथ एण्ड रक्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. स्वर्गीय श्री सुमाष चन्द्र पुत्र श्री उदमी राम जरिये विधिक वारिसान,
 - 1/1. श्रीमती अर्चना देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सुमाष चन्द्र,
 - 1/2. श्री रौनक पुत्र स्वर्गीय श्री सुमाष चन्द्र,
 - 1/3. श्री दीवांशु पुत्र स्वर्गीय श्री सुमाष चन्द्र,
 - 1/4. सुश्री दिव्या पुत्री स्वर्गीय श्री सुमाष चन्द्र,
- पता:- प्लॉट संख्या 38, ओमकार नगर, बेनाड़ रोड़, बोयतावाला, झोटवाड़ा, जयपुर।
अन्य पता:- प्लॉट संख्या 36, स्कीम लक्ष्मी नगर, रेलवे स्टेशन के पास, बेनाड़, जयपुर।
2. श्रीमती अर्चना देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सुमाष चन्द्र,
पता:- 180, ढाणी राजपुताकरी की, नाथा की नांगल, तहसील नीम का थाना।
 3. श्री पूरण मल पुत्र श्री उदमी राम,
पता:- 9ए, उपकार नगर, 2 बी, बोयतावाला, बेनाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।



अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

स्थित:- श्री पौरुष शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 06.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.05.2017 को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिमूति के रूप में अप्रार्थी स्वर्गीय श्री सुमाष चन्द्र जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट संख्या 36, स्कीम लक्ष्मी नगर, बोयतावाला, रेलवे स्टेशन के पास बेनाड़, जयपुर, क्षेत्रफल 58.33 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 06,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिकारियों को गैर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल्यांकन अवलोकन किया गया।

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 06,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 05,77,908/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.09.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी स्वर्गीय श्री सुभाष चन्द्र जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट संख्या 36, स्कीम लक्ष्मी नगर, बोयतावाला, रेलवे स्टेशन के पास बैनाड़, जयपुर, क्षेत्रफल 58.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला प्रजिस्ट्रेट
रुमरुट बरपुर (राजस्थान)